कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–44/2022– 436 दिनांक :– 15.07.2022

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ सिमडेगा वन प्रमण्डल/ लोहरदगा वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमंडल/ चाईबासा वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन प्रमण्डल/ लातेहार वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ साामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका ।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना" (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत स्थायी पौधशाला में लम्बे पौधे उगाने का कार्य द्वितीय वर्ष हेतु कुल **रू0 6.710 लाख (छः लाख एकहत्तर हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंगः– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–06/2021–31/स्वी0 व0प0 दिनांक–04.02.2022 एवं आवंटन आदेश संख्या–4/यो0ब0–06/2021–17/आ0 व0प0 दिनांक–29.06.2022 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–39–स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 6.710 लाख (छः लाख एकहत्तर हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060179639010103	5.605
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060179639010323	1.105
कुल :–		**6.710**

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2** तथा ऑन लाईन उप–आवंटन **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060179639010103 तथा 19S24060179639010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वियन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 1800/वि0, दिनांक–15.07.2003 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया ज़ायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।

9. साथ ही अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची से सीड़ आर्चड में रोपित किए जाने वाले पौधों की प्रजाति एवं उसके बीज श्रोत का अनुमोदन भी प्राप्त करके राशि व्यय की जाएगी। इसके अतिरिक्त चिन्हित किए गए बीज उत्पादन क्षेत्र के संबंध में स्थल, उसमें उपलब्ध वृक्षों की संख्या, उसकी स्थिति एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं के आधार पर उसे बीज उत्पादन क्षेत्र बनाने योग्य मापदण्डों पर समीक्षा कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग ज़िम्मेवार नहीं होगा।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारख़ण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेगें।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ–साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ–साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेगें तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरुप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगें।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–44/2022–** 436 **दिनांक–** 15.07.22

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ दुमका/जमशेपुर पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ राँची/ दुमका/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ पलामू/ एनवीस सेन्टर, राँची/पी0एम0यू0सेल, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–44/2022–** 436 **दिनांक–** 15.07.22

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ साहेबगंज/सिमडेगा/लोहरदगा/ गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ सरायकेला–खरसावां/ लातेहार/ दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022–22 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला एवं सीड़ आर्चड योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) अन्तर्गत स्थायी पौधशाला में लम्बे पौधे उगाने का कार्य द्वितीय वर्ष का प्रमंडलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			43144.20	8513.00	**51657.20**
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	20000	0.863	0.170	**1.033**
2	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	10000	0.431	0.085	**0.516**
3	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	10000	0.431	0.085	**0.516**
4	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	10000	0.431	0.085	**0.516**
5	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	10000	0.431	0.085	**0.516**
6	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	10000	0.431	0.085	**0.516**
7	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	10000	0.431	0.085	**0.516**
8	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	10000	0.431	0.085	**0.516**
9	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	10000	0.431	0.085	**0.516**
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	20000	0.863	0.170	**1.033**
11	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	10000	0.431	0.085	**0.516**
	कुल योग :–	**130000**	**5.605**	**1.105**	**6.710**

15/7/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

स्थायी पौधशाला में अतिरिक्त लम्बे पौधे उगाने का अनुसूचित कार्य दर

मजदूरी प्रति मानव दिवस :– 326.85 रुपये

स्थायी बेडों की संख्या–20

लम्बे पौधे 10" x 16" पॉलीबैग में –10000 (दस हजार)

क्रम	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी रु0 में	सामग्री रु0 में	कुल व्यय रु0 में
1	2	3	4	5	6
A	**द्वितीय वर्ष**	**326.85**			
1	अप्रैल से 30 जून तक पौधों में पानी पटवन आदि	132	43144.20	7500.00	50644.20
2	आकस्मिक कार्य 2%			**1013.00**	1013.00
	योग :–	**132**	**43144.20**	**8513.00**	**51657.20**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-44/2022/436 दिनांक - 15-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37536	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 03 - मजदूरी	86,300.00 रुपये छियासी हजार तीन सौ
2	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37538	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	43,100.00 रुपये तीरयालीस हजार एक सौ
3	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37539	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदूरी	43,100.00 रुपये तीरयालीस हजार एक सौ

योग: 172,500.00

रुपये एक लाख बहत्तर हजार पाँच सौ

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

Run Date: 15/7/2022

पत्र संख्या - 01/YB-44/2022/436 दिनांक - 15-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37541	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICEF 03 - मजदूरी	43,100.00 रुपये तीरयालीस हजार एक सौ
5	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37542	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	43,100.00 रुपये तीरयालीस हजार एक सौ
6	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37543	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	43,100.00 रुपये तीरयालीस हजार एक सौ

योग: रुपये तीन लाख एक हजार आठ सौ 129,300.00

क्रमिक योग: 301,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

 Run Date: 15/7/2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37544	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 03 - मजदूरी	43,100.00 रुपये तीरयालीस हजार एक सौ
8	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37545	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN 03 - मजदूरी	43,100.00 रुपये तीरयालीस हजार एक सौ
9	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37546	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदूरी	43,100.00 रुपये तीरयालीस हजार एक सौ

योग: रुपये चार लाख इकतीस हजार एक सौ 129,300.00

क्रमिक योग: 431,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 15/7/2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37547	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदूरी	86,300.00 रुपये छियासी हजार तीन सौ
11	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37549	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	43,100.00 रुपये तीरयालीस हजार एक सौ
12	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37551	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	17,000.00 रुपये स त्र ह हजार

योग: 146,400.00

क्रमिक योग: रुपये पॉच लाख सित्योत्तर हजार पॉच सौ 577,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 117.252.186.90 Run Date: 15/7/2022

पत्र संख्या - 01/YB-44/2022/436 दिनांक - 15-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37552	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	8,500.00 रुपये आठ हजार पाँच सौ
14	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37553	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	8,500.00 रुपये आठ हजार पाँच सौ
15	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37554	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICEF 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	8,500.00 रुपये आठ हजार पाँच सौ

योग: 25,500.00

क्रमिक योग: रुपये छः लाख तीन हजार 603,000.00

(NAND. KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

 117.252.126.90 Run Date: 15/7/2022

पत्र संख्या - 01/YB-44/2022/436 दिनांक - 15-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37555	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	8,500.00 रुपये आठ हजार पाँच सौ
17	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37558	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	8,500.00 रुपये आठ हजार पाँच सौ
18	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37559	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	8,500.00 रुपये आठ हजार पाँच सौ

योग: रुपये छः लाख अठाइस हजार पाँच सौ 25,500.00

क्रमिक योग: 628,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 15/7/2022

पत्र संख्या - 01/YB-44/2022/436 दिनांक - 15-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37562	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	8,500.00 रुपये आठ हजार पाँच सौ
20	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37563	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	8,500.00 रुपये आठ हजार पाँच सौ
21	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37565	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	17,000.00 रुपये स त्र ह हजार

योग: 34,000.00

क्रमिक योग: रुपये छः लाख बासठ हजार पाँच सौ 662,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 15/7/2022

पत्र संख्या - 01/YB-44/2022/436 दिनांक - 15-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय	37566	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	8,500.00 रुपये आठ हजार पाँच सौ

State Scheme : NA
Centeral Scheme : NA

योग: 8,500.00

रुपये छः लाख इकहत्तर हजार

क्रमिक योग: 671,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 15/7/2022